By E-mail Spied Post



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

क्रमांक-6/5/2022-प्रशा./ 6611 - 23

कार्यालय आदेश सं. 600 12023

दिनांक 27.01.2023 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों के परिणामस्वरुप और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित प्रारुपकार श्रेणी- III को **प्रारुपकार श्रेणी-II** के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु. 29200-92300/-) में पदोन्नत किया जाता है। यह प्रारुपकार श्रेणी-II के पद पर पदोन्नति के पश्चात् दर्शाए गए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागु होगा जो इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम एवं पहचान संख्या	वर्तमान तैनाती का स्थान	पदोन्नति के पश्चात् तैनाती का स्थान
1	श्री रमेश चंद्र (कर्मचारी पहचान संख्या-0234)	मुख्यालय, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।	अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., भोपाल
2.	श्री कमलजीत (कर्मचारी पहचान संख्या-0235)	मुख्यालय, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।	मुख्यालय, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
3	श्री राकेश कुमार (कर्मचारी पहचान संख्या-0261)	अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर।	मुख्यालय, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।

2. उपरोक्त प्रारुपकार श्रेणी-॥। को यह निर्देश दिया जाता है वह इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण हेतु स्वीकृति प्रस्तुत करें अन्यथा पदोन्नति को निरस्त माना जाएगा। पदोन्नति स्वीकार न करने पर वह भविष्य में पदोन्नति के अधिकारी नहीं होंगे।

3. पदोन्नति पर वे एफ. आर. 22(आई)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि वे एमएसीपी योजना के अंतर्गत पहले ही वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु.29200-92300/-) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधीन है :-

1) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी संख्या 13218/2009 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.07.2011 से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य संबधित मामले।

2) अखिल भारतीय समानता फोरम और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3490/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के फैसले से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 31288/2017 भारत संघ और अन्य तथा किसी भी अवमानना अदालत में संबंधित अन्य अदालती मामले ।

3) संबंधित मामले में कोई अन्य अदालती मामले।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रभारी उपनिदेशक (प्रशा.)

प्रतिः-

- 1. मुख्य अभियंता (उत्तर)/दक्षिण, रा.ज.वि.अ., लखनऊ/हैदराबाद।
- 2. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर।
- अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., भोपाल/ग्वालियर।
- 4. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
- 5. सतर्कता अनुभाग, मुख्यालय, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
- 6. संबंधित व्यक्ति (3)।
- 7. सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत मिसिल।
- 8. वेब मास्टर, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

- 1. महानिदेशक के निजि सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
- 2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), के निजि सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।



18-20, Community Centre, Saket, New Delhi-110017 Phone: 011-26519164, 26852735 Fax: 011-26960841, 26513846 Website: www.nwda.gov.in

दिनांक:01/08/2023

EBRATING



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency



Date: 01/08/2023

Ministry of Jal Shakti, Government of India (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

No.6/5/2022-Admn./ 6611-23

Office Order No. 600/2023

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee made in its meeting held on 27.01.2023 and with the approval of the Competent Authority, the following D'Man Gr-III are hereby promoted to the post of **D'Man Gr-II** on regular basis in Level-5 of Pay Matrix (Rs.29200-92300/-) from the date of assumption the charge of the said post in the respective place of posting. Details as given below:

Sl. No.	Name of the Official and Emp. ID	Present place of posting	Place of posting on promotion
1	Shri Ramesh Chander (Emp. ID-0234)	HQ, New Delhi	ID, Bhopal
2.	Shri Kamal Jit (Emp. ID-0235)	HQ, New Delhi	HQ, New Delhi
3,	Shri Rakesh Kumar (Emp. ID-0261)	ID, Gwalior	HQ, New Delhi

2. The above mentioned D'Man Gr-III are directed to submit acceptance for joining within 30 days from the issue of this order otherwise the promotion will be treated as cancelled. If they do not accept the promotion, they will not be eligible for promotion in future.

3. On promotion, they will not be entitled for pay fixation under FR 22(I)(a)(1), as they are already drawing the pay in Level-5 of Pay Matrix (Rs.29200-92300/-)under the MACP Scheme.

The promotion is subject to the outcome of following court cases:

- (i) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.
- (ii) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Ors Vs. UOI & Ors. And other related court cases in any contempt court.
- (iii) Any other court cases in a connected matter.

This issues with the approval of the Competent Authority

01108/2020

(Hari Om Varshney) Deputy Director (Admn.) I/c

To:

- 1. Chief Engineer (North)/(South), NWDA, Lucknow/Hyderabad.
- 2. Superintending Engineer, IC, NWDA, Gwalior.
- 3. Executive Engineer, ID, NWDA, Bhopal/Gwalior.
- 4. Accounts Officer, NWDA, New Delhi.
- 5. Vigilance Section, HQs, NWDA, New Delhi.
- 6. Person(s) concerned (3).
- 7. Personal File/ Service Book.
- 8. Web Master, Multi Disciplinary Unit, NWDA, New Delhi.

Copy for information to:

- 1. PS to Director General, NWDA, New Delhi.
- 2. PS to Chief Engineer (HQ), NWDA, New Delhi.



18-20, Community Centre, Saket, New Delhi-110017 Phone: 011-26519164, 26852735 Fax: 011-26960841, 26513846 Website: www.nwda.gov.in